विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(प्रश्न अनुभाग)

संख्या: 02/प्र0-44/1/2022 **लखनऊ, दिनांक 02.01.2026**

प्रेषक,

श्री प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र, 2025 के सत्रावसान की सूचना।

महोदय/ महोदया,

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-04/वि0स0/संसदीय/09(सं0)/2022, दिनांक **01 जनवरी, 2026** के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक **01 जनवरी, 2026** से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2025 के तृतीय सत्र का सत्रावसान कर दिये जाने के फलस्वरूप आपके द्वारा अभिसूचित लम्बित सभी प्रश्न तथा उक्त नियमावली के नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा हेतु दी गई सूचनाएं, यदि कोई हों, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-18 के अन्तर्गत व्यपगत हो गयी हैं परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हैं और विगत सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये थे अथवा उत्तर के लिए लम्बित थे, वे व्यपगत नहीं होंगे।

2- मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यपगत प्रश्न को यदि माननीय सदस्य आगामी सत्र हेतु पुनर्जीवित करना चाहें तो वे विधान सभा सचिवालय को भेज सकते हैं। इसके साथ ही सदस्यगण अपने नये प्रश्नों की भी सूचना दे सकते हैं।

3- माननीय सदस्यों द्वारा उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में केवल यह लिखकर भेजने पर कि "मेरे व्यपगत प्रश्नों को पुनर्जीवित कर दिया जाय" उन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

4- प्रश्नों की सूचना देने के संबंध में आपकी सूचनार्थ यह भी निवेदन है कि उक्त नियमावली के नियम-33 (प्रति संलग्न) के अनुसार एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं जिसमें अल्पसूचित, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य पांच प्रश्नों से अधिक की सूचनाएं किसी दिन देंगे तो उनकी प्रथम पांच सूचनायें ही स्वीकार की जायेंगी और शेष सूचनायें अस्वीकृत समझी जायेंगी तथा मौखिक उत्तर के लिये किसी एक दिन की प्रश्न सूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे तथा एक सदस्य का एक से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखा जायेगा। सदस्यों के किसी एक दिन के लिये निर्धारित एक से अधिक तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे।

5- मुझे आपसे यह भी निवेदन करना है कि कृपया प्रश्नों की सूचना प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन अथवा सूचनाओं हेतु निर्धारित प्रपत्र जो विधान सभा सचिवालय के प्रश्न अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है, पर केवल एक ही अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न या अल्पसूचित प्रश्न की सूचना दें।

6- मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन (24*7) भी दी जा सकती है। प्रश्नों की सूचना ऑनलाइन भेजने हेतु आवश्यक यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर वर्तमान में क्रियाशील वेबसाइट **https://cms.neva.gov.in** पर लॉग-इन कर ऑनलाइन इस सचिवालय को प्रेषित कर सकते हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पद्रहवां संस्करण) के निदेश संख्या-28 का सन्दर्भित उद्धरण

"28-(1) सदन में लिये गये प्रश्नों को ही उत्तरित माना जायेगा।

2-(क) सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होने की दिनांक के पन्द्रह दिन उपरान्त से आगामी सत्र के लिये सदस्यों से नवीन प्रश्न लिये जायेंगे। उक्त प्राप्त प्रश्नों का आगामी सत्र हेतु निर्धारण सत्रावसान की तिथि के उपरान्त किया जायेगा।

(ख) परन्तु सत्रावसान के पूर्व वर्तमान सत्र के लिये सदन की बैठक पुनः बुलाये जाने की स्थिति में उक्त सत्र के प्रश्न यथावत् उसी क्रम में निर्धारित रहेंगे।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-33 का सन्दर्भित उद्धरण

"33- प्रश्नों की संख्या की परिसीमा-(1) एक सदस्य एक दिन में केवल पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य पांच प्रश्नों से अधिक सूचना किसी दिन देता है तो उसकी प्रथम पांच सूचनायें ली जा सकेंगी और शेष सूचना अस्वीकृत समझी जायेंगी।

(2) मौखिक उत्तर के लिये किसी एस दिन की प्रश्न सूची में तारांक लगाकर विभेद किये गये 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जायेंगे तथा एक सदस्य का एक से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखा जायेगा। सदस्यों के किसी एक दिन के लिये निर्धारित एक से अधिक तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगेः

परन्तु किसी एक दिन के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या सामान्यतया 200 से अधिक न होगी।"